

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा

क्रमांक- /री -2/भू. अ./2018

223

खण्डवा, दिनांक- 25/1/2018

प्रति-

नियंत्रक  
केन्द्रीय मुद्रणालय,  
भोपाल

विषय-

"भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013" की उद्घोषणा का राजपत्र में प्रकाशन होने बाबत। प्रकरण क्रमांक 001/अ-82/16-17 ग्राम नावली तहसील खण्डवा

—00—

"भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013" की उद्घोषणा का प्रकाशन म.प्र.राजपत्र भाग-1 में होना है। कलेक्टर एवं समुचित सरकार, म.प्र. शासन, राजस्व विभाग, जिला खण्डवा द्वारा हस्ताक्षरित उद्घोषणा की दो प्रतियां (एक मूल प्रति एवं फोटोप्रति) आपकी ओर भेजी जा रही है।

कृपया इसका प्रकाशन राजपत्र में शीघ्र करवाकर इस कार्यालय को सूचित करने का कष्ट करें।

(शाश्वत शर्मा)

अनुविभागीय अधिकारी, एवं

भू-अर्जन-अधिकारी खण्डवा

पृ.क्रमांक- /री -2/भू. अ./2018

224

खण्डवा, दिनांक-25/1/2018

प्रतिलिपि-

1. संचालक, जन संपर्क संचालनालय, म.प्र.भोपाल की ओर उद्घोषणा की चार प्रतियां भेजकर निवेदन है कि, कृपया इस क्षेत्र में पढ़े जाने वाले दो बहुप्रसारित दैनिक समाचार पत्रों में इनका प्रकाशन करवाकर इसकी एक-एक प्रति इस कार्यालय को भिजवाने का कष्ट करें।
2. कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग खण्डवा की ओर सूचनार्थ और आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित तथा गज प्रकाशन प्रति एवं दो समाचार पत्र प्रकाशन प्रतियां इस कार्यालय को उपलब्ध करावे। समाचार पत्र प्रकाशन व्य आपके विभाग द्वारा वहन किया जावेगा।
3. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (एन.आई.सी.) खण्डवा की ओर, कलेक्टर महोदय द्वारा हस्ताक्षरित उद्घोषणा व जिले की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
4. तहसीलदार खण्डवा की ओर 6 प्रतियां भेजकर लेख है कि निम्न स्थानों पर एक-एक प्रति चस्पा कर तथा ग्राम में डोंडी पिटवाकर बाद तामिली के मय अपने प्रमाणिकरण के आठ दिवस में वापसी भिजवाने की व्यवस्था करें।
  1. कलेक्टर कार्यालय नोटिस बोर्ड
  2. उप-खण्ड मजिस्ट्रेट खण्डवा के नोटिस बोर्ड पर
  3. तहसील कार्यालय नोटिस बोर्ड
  4. ग्राम पंचायत खण्डवा के नोटिस बोर्ड पर
  5. ग्राम नावली की चौपाल पर .

(शाश्वत शर्मा)

अनुविभागीय अधिकारी, एवं

भू-अर्जन-अधिकारी खण्डवा

**कार्यालय, कलेक्टर एवं समुचित सरकार मध्यप्रदेश शासन,  
राजस्व विभाग, जिला खण्डवा (म.प्र.)**

नस्ती क्रं. 90/एलए./2016,

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक- 0001/ अ-82/2016-2017

खण्डवा, दिनांक 24/01/2018

**" उद्घोषणा "**

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 (1) के अन्तर्गत, प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 (2) के अन्तर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं अधिनियम की धारा 43 में वर्णित प्रावधान के परिपेक्ष्य में इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम की आवश्यकता नहीं है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

**" अनुसूची "**

1/- भूमि का वर्णन :-

(क) जिला :- खण्डवा (ख) तहसील :- खण्डवा  
(ग) ग्राम :- नावली (घ) अर्जित रकबा :- 68.35 हेक्टेयर

खसरा कमांक	अर्जित रकबा	खसरा कमांक	अर्जित रकबा	खसरा कमांक	अर्जित रकबा	खसरा कमांक	अर्जित रकबा
100	0.140	111	1.730	190/1	0.540	220	0.420
101	0.680	112	1.340	190/2	0.550	218	0.130
109	0.190	114	0.350	194	0.080	221/1	0.200
110	3.680	122	1.740	547	0.210	222/1	0.350
257	0.040	125	0.310	549	0.400	222/2	0.350
202	0.040	198/2	0.030	551	0.100	223	0.910
102	0.600	123	2.920	256	0.030	91	0.130
103/1	0.190	124	0.340	198/1	0.040	38	1.080
103/2	0.260	126/1	2.050	271	0.020	478/2	0.180
104/1	0.530	126/2	0.400	199	0.080	40/1	0.490
203	0.040	127	0.900	204	0.030	40/2	0.260
104/2	0.080	140/4	0.030	205	1.150	40/3	0.230
105	0.590	128	0.580	210	0.710	94	2.720
106/1	0.120	131	0.470	206	1.580	95	0.380
121	0.120	137/1	1.140	221/2	0.200	96	3.100
132	3.070	137/5	0.100	207	0.580	478/1	0.180
106/2	0.750	137/2	1.140	208	0.180	480	0.540
107/1	0.040	140/1	3.500	209	2.450	188/1	0.120
107/2	0.790	140/3	0.950	211	0.820	191	0.680
108/1	0.480	272	0.130	216	0.180	192/1	1.090
108/2	0.480	143	0.260	219	0.610	548	0.190
108/3	0.480	482	2.190	116	0.270	192/2	1.090
108/4	0.480	186/1	0.040	97	1.310	483	0.020
108/5	0.480	189/1	0.120	98	1.960	260	0.020
201	0.030	550	2.280	217	0.170		
					कुल योग-	99 खसरे	68.35 हे.

2/- सार्वजनिक प्रायोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है, पलासी लघु सिंचाई तालाब के शीर्ष कार्य हेतु ।

3/- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

( अमरिषक सिंह )

कलेक्टर एवं समुचित सरकार  
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग  
जिला खण्डवा

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा

क्रमांक- /री -2/भू. अ./2018

219

खण्डवा, दिनांक- 25/1/2018

प्राति-

नियंत्रक  
केन्द्रीय मुद्रणालय,  
भोपाल

विषय-

“भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013” की शुद्धि पत्र - धारा-11 प्रारंभिक अधिसूचना का राजपत्र में प्रकाशन होने बाबत। प्रकरण क्रमांक 001/अ-82/16-17 ग्राम नावली तहसील खण्डवा

---00---

“भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013” की शुद्धि पत्र - धारा-11 प्रारंभिक अधिसूचना का प्रकाशन म.प्र.राजपत्र भाग-1 में होना है। कलेक्टर एवं समुचित सरकार, म.प्र. शासन, राजस्व विभाग, जिला खण्डवा द्वारा हस्ताक्षरित शुद्धि पत्र - धारा-11 प्रारंभिक अधिसूचना की दो प्रतियां (एक मूल प्रति एवं फोटोप्रति) आपकी ओर भेजी जा रही है।

कृपया इसका प्रकाशन राजपत्र में शीघ्र करवाकर इस कार्यालय को सूचित करने का कष्ट करें।

(शाश्वत शर्मा)

अनुविभागीय अधिकारी, एवं  
भू-अर्जन-अधिकारी खण्डवा

क्रमांक- /री -2/भू. अ./2018

220

खण्डवा, दिनांक-25/1/2018

प्रति-  
1.

- संचालक, जन संपर्क संचालनालय, म.प्र.भोपाल की ओर शुद्धि पत्र - धारा-11 प्रारंभिक अधिसूचना की चार प्रतियां भेजकर निवेदन है कि, कृपया इस क्षेत्र में पढ़े जाने वाले दो बहुप्रसारित दैनिक समाचार पत्रों में इनका प्रकाशन करवाकर इसकी एक-एक प्रति इस कार्यालय को भिजवाने का कष्ट करें।
- कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग खण्डवा की ओर सूचनार्थ और आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित तथा गज प्रकाशन प्रति एवं दो समाचार पत्र प्रकाशन प्रतियां इस कार्यालय को उपलब्ध करावे। समाचार पत्र प्रकाशन व्य आपके विभाग द्वारा वहन किया जावेगा।
- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (एन.आई.सी.) खण्डवा की ओर, कलेक्टर महोदय द्वारा हस्ताक्षरित शुद्धि पत्र धारा-11 प्रारंभिक अधिसूचना को जिले की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
- तहसीलदार खण्डवा की ओर 6 प्रतियां भेजकर लेख है कि निम्न स्थानों पर एक-एक प्रति चस्पा कर तथा ग्राम में डोंडी पिटवाकर बाद तामिली के मय अपने प्रमाणिकरण के आठ दिवस में वापसी भिजवाने की व्यवस्था करें।
  - कलेक्टर कार्यालय नोटिस बोर्ड
  - उप-खण्ड मजिस्ट्रेट खण्डवा के नोटिस बोर्ड पर
  - तहसील कार्यालय नोटिस बोर्ड
  - ग्राम पंचायत खण्डवा के नोटिस बोर्ड पर
  - ग्राम नावली की चौपाल पर

(शाश्वत शर्मा)

अनुविभागीय अधिकारी, एवं  
भू-अर्जन-अधिकारी खण्डवा

0/0



कार्यालय कलेक्टर एवं समुचित सरकार मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग जिला खण्डवा

नस्ती कं. 90 /एल. ए./2016

भू-अर्जन प्र0क0 0001 /अ-82/2016-17

खण्डवा, दिनांक 24-1-18

**// शुद्धि- पत्र धारा 11 प्रारंभिक अधिसूचना //**

पलासी लघु सिंचाई तालाब के शीर्ष कार्य हेतु ग्राम नावली तहसील खण्डवा जिला खण्डवा के भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक-0001/अ-82/16-17 में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की प्रारंभिक अधिसूचना का प्रकाशन म.प्र. राजपत्र भाग-1 में दिनांक 3.11.2017 को, दैनिक अवतिका में दिनांक 30.10.2017 को, दबंग दुनिया में दिनांक 30.10.2017 को एवं आम इशतहार दिनांक 3.11.2017 को हुआ है। तथा डी.एम खण्डवा की बेबसाईट पर दिनांक 7.11.2017 को अपलोडिंग हुआ है। उक्त प्रारंभिक अधिसूचना में निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे।

पूर्व प्रकाशित प्रविष्टि	सही संशोधित प्रविष्टि
68.31 हे	68.35 हे.

उक्त प्रकाशन प्रारंभिक अधिसूचना में कुल अर्जनीय रकबा 68.31 हे0 के स्थान पर 68.35 हे0 पढ़ा जावे।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

( अभिषेकसिंह )

कलेक्टर एवं समुचित सरकार  
मध्य प्रदेश शासन, राजस्व विभाग  
जिला खण्डवा

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा

क्रमांक- /री -2/भू. अ./2018

221

खण्डवा, दिनांक- 25/1/2018

प्रति,

नियंत्रक  
केन्द्रीय मुद्रणालय,  
भोपाल

विषय-

"भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013" की शुद्धि पत्र- सामाजिक समाघात निर्धारण से छूट अधिसूचना का राजपत्र में प्रकाशन होने बाबत। प्रकरण क्रमांक 001/अ-82/16-17 ग्राम नावली तहसील खण्डवा

—00—

"भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013" की शुद्धि पत्र- सामाजिक समाघात निर्धारण से छूट अधिसूचना का प्रकाशन म.प्र.राजपत्र भाग-1 में होना है। कलेक्टर ए समुचित सरकार, म.प्र. शासन, राजस्व विभाग, जिला खण्डवा द्वारा हस्ताक्षरित शुद्धि पत्र-सामाजिक समाघात निर्धारण से छूट अधिसूचना की दो प्रतियां (एक मूल प्रति एवं फोटोप्रति) आपकी ओर भेजी जा रही है।

कृपया इसका प्रकाशन राजपत्र में शीघ्र करवाकर इस कार्यालय को सूचित करने का कष्ट करें।

(शाश्वत शर्मा)

अनुविभागीय अधिकारी, एवं  
भू-अर्जन-अधिकारी खण्डवा

पृ.क्रमांक- /री -2/भू. अ./2018

222

खण्डवा, दिनांक-25/1/2018

प्रतिलिपि-

1. संचालक, जन संपर्क संचालनालय, म.प्र.भोपाल की ओर शुद्धि पत्र- सामाजिक समाघात निर्धारण से छूट अधिसूचना की चार प्रतियां भेजकर निवेदन है कि, कृपया इस क्षेत्र में पढे जाने वाले दो बहुप्रसारित दैनिक समाचार पत्रों में इनका प्रकाशन करवाकर इसकी एक-एक प्रति इस कार्यालय को भिजवाने का कष्ट करें।
2. कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग खण्डवा की ओर सूचनार्थ और आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित तथा गज प्रकाशन प्रति एवं दो समाचार पत्र प्रकाशन प्रतियां इस कार्यालय को उपलब्ध करावे। समाचार पत्र प्रकाशन व्य आपके विभाग द्वारा वहन किया जावेगा।
3. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (एन.आई.सी.) खण्डवा की ओर, कलेक्टर महोदय द्वारा हस्ताक्षरित शुद्धि पत्र सामाजिक समाघात निर्धारण से छूट अधिसूचना को जिले की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
4. तहसीलदार खण्डवा की ओर 6 प्रतियां भेजकर लेख है कि निम्न स्थानों पर एक-एक प्रति चस्पा कर तथा ग्रा में डोंडी पिटवाकर बाद तामिली के मय अपने प्रमाणिकरण के आठ दिवस में वापसी भिजवाने की व्यवस्था करें।
  1. कलेक्टर कार्यालय नोटिस बोर्ड
  2. उप-खण्ड मजिस्ट्रेट खण्डवा के नोटिस बोर्ड पर
  3. तहसील कार्यालय नोटिस बोर्ड
  4. ग्राम पंचायत खण्डवा के नोटिस बोर्ड पर
  5. ग्राम नावली की चौपाल पर .

(शाश्वत शर्मा)

अनुविभागीय अधिकारी, एवं  
भू-अर्जन-अधिकारी खण्डवा

कार्यालय कलेक्टर एवं समुचित सरकार मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग जिला खण्डवा

नस्ती कं. 90 /एल. ए./2016

भू-अर्जन प्र0क0 0001 /अ-82/2016-17

खण्डवा, दिनांक 24-1-2018

**// शुद्धि पत्र -सामाजिक समाघात निर्धारण से छूट अधिसूचना //**

पलासी लघु सिंचाई तालाब के शीर्ष कार्य हेतु ग्राम नावली तहसील खण्डवा जिला खण्डवा के भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक-0001/अ-82/16-17 में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के अध्याय 2 (अ) धारा -4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट संबंधी अधिसूचना का प्रकाशन म.प्र. राजपत्र भाग-1 में दिनांक 3.11.2017 को, पिपुल्स समाचार इन्दौर में दिनांक 30.10.2017 को, स्वदेश में दिनांक 31.10.2017 को एवं आम इशतहार दिनांक 3.11.2017 को हुआ है। तथा डी.एम खण्डवा की बेबसाईट पर दिनांक 7.11.2017 को अपलोडिंग हुआ है। उक्त अधिसूचना में निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे।

पूर्व प्रकाशित प्रविष्टि 68.31 हे	सही संशोधित प्रविष्टि 68.35 हे.
--------------------------------------	------------------------------------

उक्त प्रकाशन प्रारंभिक अधिसूचना में कुल अर्जनीय रकबा 68.31 हे0 के स्थान पर 68.35 हे0 पढ़ा जावे।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

( अभिषेकसिंह )

कलेक्टर एवं समुचित सरकार  
मध्य प्रदेश शासन, राजस्व विभाग  
जिला खण्डवा